



प्रेस विज्ञप्ति

05-06-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गंगटोक उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने 02.06.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष पदम बहादुर क्षेत्री और पदम बहादुर क्षेत्री की पत्नी सुश्री शांति शर्मा के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 45 के तहत एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

ईडी ने बैंक के साथ पदम बहादुर क्षेत्री द्वारा की गई धोखाधड़ी के संबंध में सिक्किम स्टेट बैंक द्वारा दायर शिकायत पर सदर पुलिस स्टेशन, गंगटोक, सिक्किम द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि पदम बहादुर क्षेत्री ने होटल के निर्माण के लिए स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम से 5 करोड़ रुपये की राशि का ऋण लिया था, लेकिन धन का उपयोग उक्त उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था। आरोपी व्यक्तियों ने होटल निर्माण परियोजना को बार-बार अन्य विभिन्न परियोजनाओं में बदलकर, हर बार अतिरिक्त ऋण हासिल किया और बैंक को धोखा दिया तथा बैंक फंड को विभिन्न चल और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए डायवर्ट किया।

तत्काल मामले में, ईडी ने आरोपी व्यक्तियों के कब्जे से 4.90 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, जिसकी पुष्टि पीएमएलए के तहत विद्वान निर्णायक प्राधिकरण द्वारा भी की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों में अपराध की आय के विपथन के माध्यम से अर्जित 8 अचल संपत्तियां शामिल हैं।